22.12.16 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर। वकील उभयपक्ष ने बहस की पत्रावली वास्ते आदेश 27.12.16 को पेश हो।

[signature]
22.12.16

27.12.16 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष द्वारा पूर्व पेशी पर बहस की गई। बहस में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी मौजा बांसिया जमाबन्दी संवत् 2066-69 के खाता नं. 397 आराजी 3237/1581 रकबा 2.00 बीघा का खातेदार काश्तकार है परन्तु उक्त भूमि पर विपक्षीगण कब्जा कर निर्माण करने पर आमादा हैं। विपक्षीगण ने इस भूमि पर दीवार निर्मित करदी है तथा उस पर तिरपाल डालकर दुकान कार्य कर रहे हैं। विपक्षीगण इस जमीन को अपनी क्रयशुदा जमीन बताते हैं जबकि हकीकत यह है कि उनके द्वारा आराजी नं 3236/1581 क्रय की है और विक्रयपत्र में जो चतुर्दिशी बताई गयी है वह राजस्व रिकॉर्ड में आराजी नं. 3236/1581 की चतुर्दिशी नहीं है। इसलिए विपक्षीगण विक्रय पत्र में वर्णित चतुर्दिशी के आधार पर काबिज होकर निर्माण कार्य करना चाहते हैं परन्तु जहाँ पर निर्माण कार्य करना चाहते हैं वहाँ पर राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस के मुताबिक प्रार्थी की आराजी नं. 3237/1581 है। अतः विपक्षीगण को कोई अधिकार नहीं होते तथा वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी के खातेदार होने से वादनिर्णय तक उक्त वादग्रस्त आराजी नं. 3237/1581 पर विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

इस प्रकार प्रार्थी वकील के बहस उपरान्त

विपक्षी वकील ने निवेदन किया कि विपक्षी द्वारा विक्रयपत्र द्वारा भूमि क्रय की है और उसी अनुसार विक्रयपत्र में वर्णित जगह पर विपक्षीगण काबिज होकर निर्माण कार्य कर रहे हैं। मौके पर जहाँ निर्माण किया गया है वह आराजी 3237/1581 है ऐसा प्रार्थीपक्ष कह रहे हैं जिससे वे यह मानते हैं उक्त

वादग्रस्त आराजी पर हमारा कब्जा है। इसलिए विपक्षीगण को महज परेशान करने की नीयत से यह प्रार्थी द्वारा वाद लाया गया है। किसी प्रकार की T.I. विरुद्ध विपक्षीगण जारी नहीं हो सकती है।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विक्रयपत्र, राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस आदि दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि आराजी न. 3237/1581 रकबा 2.00 बीघा प्रार्थी के खाते की है तथा विपक्षीगण द्वारा क्रीत आराजी 3236/1581 नक्शा ट्रेस से मेल नहीं खाती है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर विपक्षीगण द्वारा निर्माण कार्य कर लिया है अर्थात् कब्जा विपक्षीगण का है यह बात वादी वकील भी मानते हैं। जिससे वादग्रस्त आराजी 3237/1581 प्रार्थी के खाते तथा विपक्षी के कब्जे होने से माध्यमस्थिक (in medio) होने से उभय पक्ष को मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक बनाए रखने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद से संलग्न हो।

27.1.2.16
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा, मु. धम्बोला